## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 387/2024

अनवान : –

1. बगड़ावत पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।

– वादी

**बनाम्**

1. आत्माराम पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
2. दलीपसिंह पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
3. भानीराम पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
4. कृष्णलाल पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

**निर्णय** दिनांकः 10/12/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 40/39 की कुल 4.2620 हैक्ट भूमि व खाता स0 117/35 की कुल 4.6180 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है प्रतिवादीगण बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि का बेचान करना चाहते है इसलिए हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के मुताबिक खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र ... वाद भूमि संयुक्त वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाते में दर्ज राजस्व रिकार्ड है वर्षो पूर्व बंटवारे के अनुसार ही वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है तथा सींव व डोल को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा रोही मौजा आपूवाला में चक प्लान का कार्य चल रहा है तथा रोही मौजा आपूवाल चक प्लान में चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2 एपीडब्ल्यूएम में परिवर्तित व पैमूद होना है तथा चक प्लान में प0न0 60/1 से 60/9 तक रास्ता स्वीकृत शुदा है। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज पेश किया जो की स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 40/39 की कुल 4.2620 हैक्ट भूमि व खाता स0 117/35 की कुल 4.6180 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है

1. बगडावतराम पुत्र सुखदेवराम हिस्सा पूर्ण जाति– जाट सा. देह खातेदार रहन 1065/1508 हि. एसबीआई बैंक नोहर मूर्त– प.म. दलपतपुरा के ग्राम आपूवाला के खसरा न. 163/1 की 1.0650 है. बारानी प्रथम खसरा न. 191/163 की 0.4430 बारानी प्रथम भूमि कुल रकबा 1.5080 हे. बारानी प्रथम भूमि
2. आत्माराम हि. 1508/7372 कृष्णलाल हि. 2340/7372 दलीपसिंह हि. 2015/7372 भानीराम हि. 1509/7372 पि. सुखदेवाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन दलीप सिंह 1065/7372 हि. एक्सिस बैंक नोहर, भानीराम 1065/7372 हि. पीएनबी बैंक नोहर, कृष्णलाल 2340/7372 हि. एसबीआई बैंक नोहर मूर्त – प.म. दलपतपुरा के ग्राम आपुवाला के खसरा न. 163/2 की 3.1970 हे. बारानी प्रथम खसरा न. 185/157 की 0.5060 बारानी प्रथम खसरा न. 191/163 की 3.0506 बारानी प्रथम खसरा न. 193/165 की 0.6184 बारानी प्रथम भूमि कुल रकबा 7.3720 हे. बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

# अंतिम पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 387/2024
अनवान : –

1. बगड़ावत पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।

– वादी

**बनाम्**

1. आत्माराम पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
2. दलीपसिंह पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
3. भानीराम पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
4. कृष्णलाल पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 387 सन 2024 निर्णय दिनांक** 10/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 40/39 की कुल 4.2620 हैक्ट भूमि व खाता स0 117/35 की कुल 4.6180 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है

1. बगडावतराम पुत्र सुखदेवराम हिस्सा पूर्ण जाति– जाट सा. देह खातेदार रहन 1065/1508 हि. एसबीआई बैंक नोहर मूर्त– प.म. दलपतपुरा के ग्राम आपूवाला के खसरा न. 163/1 की 1.0650 है. बारानी प्रथम खसरा न. 191/163 की 0.4430 बारानी प्रथम भूमि कुल रकबा 1. 5080 हे. बारानी प्रथम भूमि
2. आत्माराम हि. 1508/7372 कृष्णलाल हि. 2340/7372 दलीपसिंह हि. 2015/7372 भानीराम हि. 1509/7372 पि. सुखदेवाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन दलीप सिंह 1065/7372 हि. एक्सिस बैंक नोहर, भानीराम 1065/7372 हि. पीएनबी बैंक नोहर, कृष्णलाल 2340/7372 हि. एसबीआई बैंक नोहर मूर्त – प.म. दलपतपुरा के ग्राम आपुवाला के खसरा न. 163/2 की 3.1970 हे. बारानी प्रथम खसरा न. 185/157 की 0.5060 बारानी प्रथम खसरा न. 191/163 की 3.0506 बारानी प्रथम खसरा न. 193/165 की 0.6184 बारानी प्रथम भूमि कुल रकबा 7.3720 हे. बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 10/12/25 ............ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**